मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक कार्यवाही

दिनांक 28.07.2024

प्रस्तावित संशोधित संघ विधान पत्र का प्रारूप

क्र.स.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
01.	**संस्था का नाम :–** **मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान, जोधपुर**	**संस्था का नाम :–** **मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान, जोधपुर**
02.	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :– इसं संस्था का पंजीकृत कार्यालय मयुराक्षी शिक्षा एवं विक़ास संस्थान C/o श्री सांवलसिंह सांखला पुत्र श्री हीरालाल जी सांखला मगरा पूंजला, जोधपुर फोन नम्बर 0291–570424 तथा संस्था का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य तक सीमित है।	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :– इसं संस्था का पंजीकृत कार्यालय मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान C/o श्री सांवलसिंह सांखला पुत्र श्री हीरालाल जी सांखला मगरा पूंजला, जोधपुर फोन नम्बर 0291–570424 तथा संस्था का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य तक सीमित है।
03.	उद्देश्य :– इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य हैं :– 1. जनकल्याणकारी शैक्षणिक योजना के अन्तर्गत बिना लाभ के शिक्षा प्रचार हेतु विभिन्न संस्थाओं का संचालन करना। 2. शैक्षणिक संस्थाऐं, संचालित करना। 3. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना। 4. विभिन्न विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करना। 5. राज्य सरकार से मान्यता एवं स्वीकृति प्राप्त कर उच्च स्तर की शिक्षा का संचालन करना। 6. शिक्षा कर्म से राष्ट्रीय सेवा विश्व बधुत्व की भावना का विकास करते हुए शिक्षा के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। 7. कुष्ट आश्रम, व्यसन मुक्ति केन्द्र स्थापित करना एवं संचालन करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।	उद्देश्य :– इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य हैं :– 1. जनकल्याणकारी शैक्षणिक योजना के अन्तर्गत बिना लाभ के शिक्षा प्रचार हेतु विभिन्न संस्थाओं का संचालन करना। 2. शैक्षणिक संस्थाऐं, संचालित करना। 3. चिकित्सा सेवाएं – मेडिकल हॉस्पीटल, आयुर्वेदिक हॉस्पीटल, होम्योपेथिक हॉस्पीटल और योगा केन्द्र संचालित करना । 4. मेडिकल शिक्षण संस्थाएं (MBBS, BDS, B.Sc. Nursing, M.Sc. Nursing, Post Basic Nursing, D.Pharma, B.Pharma, G.N.M., A.N.M., DMLT, Rediography, OT Technichian and Paramedical Courses) अन्य चिकित्सा संबंधी सभी पाठ्यक्रम, आयुर्वेद शिक्षण संस्थान (BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, B.Sc. Ayurveda Nursing, DAN&P, D.Pharma) अन्य आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी सभी पाठ्यक्रम संचालित करना।

Sanwalsi

अध्यक्ष Chairman मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan	सचिव Secretary मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan	कोषाध्यक्ष Treasurer मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

		5. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना। 6. विभिन्न विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करना। 7. राज्य सरकार से मान्यता एवं स्वीकृति प्राप्त कर उच्च स्तर की शिक्षा का संचालन करना। 8. शिक्षा कर्म से राष्ट्रीय सेवा विश्व बधुत्व की भावना का विकास करते हुए शिक्षा के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। 9. कुष्ट आश्रम, व्यसन मुक्ति केन्द्र स्थापित करना एवं संचालन करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।

Sanwal / B S ...

अध्यक्ष
Chairman
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव
Secretary
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष
Treasurer
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

द्वितीय विशेष साधारण सभा की बैठक कार्यवाही

दिनांक 28.07.2024

प्रस्तावित संशोधित विधान नियमावली का प्रारूप

क्र.स.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
01.	**संस्था का नाम :–** **मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान, जोधपुर**	**संस्था का नाम :–** **मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान, जोधपुर**
02.	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :– इसं संस्था का पंजीकृत कार्यालय मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान C/o श्री सांवलसिंह सांखला पुत्र श्री हीरालाल जी सांखला मगरा पूंजला, जोधपुर फोन नम्बर 0291–570424 तथा संस्था का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य तक सीमित है।	पंजीकृत कार्यालय एवं कार्यक्षेत्र :– इसं संस्था का पंजीकृत कार्यालय मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान C/o श्री सांवलसिंह सांखला पुत्र श्री हीरालाल जी सांखला मगरा पूंजला, जोधपुर फोन नम्बर 0291–570424 तथा संस्था का कार्य क्षेत्र समस्त राजस्थान राज्य तक सीमित है।
03.	उद्देश्य :– इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य हैं :– 1. जनकल्याणकारी शैक्षणिक योजना के अन्तर्गत बिना लाभ के शिक्षा प्रचार हेतु विभिन्न संस्थाओं का संचालन करना। 2. शैक्षणिक संस्थाऐं, संचालित करना। 3. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना। 4. विभिन्न विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करना। 5. राज्य सरकार से मान्यता एवं स्वीकृति प्राप्त कर उच्च स्तर की शिक्षा का संचालन करना। 6. शिक्षा कर्म से राष्ट्रीय सेवा विश्व बधुत्व की भावना का विकास करते हुए शिक्षा के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। 7. कुष्ट आश्रम, व्यसन मुक्ति केन्द्र स्थापित करना एवं संचालन करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।	उद्देश्य :– इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य हैं :– 1. जनकल्याणकारी शैक्षणिक योजना के अन्तर्गत बिना लाभ के शिक्षा प्रचार हेतु विभिन्न संस्थाओं का संचालन करना। 2. शैक्षणिक संस्थाऐं, संचालित करना। 3. चिकित्सा सेवाएं – मेडिकल हॉस्पीटल, आयुर्वेदिक हॉस्पीटल, होम्योपेथिक हॉस्पीटल और योगा केन्द्र संचालित करना । 4. मेडिकल शिक्षण संस्थाएं (MBBS, BDS, B.Sc. Nursing, M.Sc. Nursing, Post Basic Nursing, D.Pharma, B.Pharma, G.N.M., A.N.M., DMLT, Rediography, OT Technichian and Paramedical Courses) अन्य चिकित्सा संबंधी सभी पाठ्यक्रम, आयुर्वेद शिक्षण संस्थान (BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, B.Sc. Ayurveda Nursing, DAN&P, D.Pharma) अन्य आयुर्वेद चिकित्सा संबंधी सभी पाठ्यक्रम संचालित करना।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान	मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान	मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Chairman Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan	Secretary Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan	Treasurer Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

		5. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना। 6. विभिन्न विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करना। 7. राज्य सरकार से मान्यता एवं स्वीकृति प्राप्त कर उच्च स्तर की शिक्षा का संचालन करना। 8. शिक्षा कर्म से राष्ट्रीय सेवा विश्व बधुत्व की भावना का विकास करते हुए शिक्षा के अन्तराष्ट्रीय मूल्यों का विकास करना। 9. कुष्ट आश्रम, व्यसन मुक्ति केन्द्र स्थापित करना एवं संचालन करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं होगा।
04.	सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे :– 1. संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों। 2. बालिग हों। 3. पागल, दिवालिये न हों। 4. संस्था के उधेश्यों में रूचि व आस्था रखते हों। 5. भारत का नागरिक हो। 6. अन्य संस्था का सदस्य न हो। 7. शिक्षित हो।	कोई परिवर्तन नहीं।
05.	सदस्यों का वर्गीकरण :– संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगें :– 1–साधारण सदस्य, 2– सम्मानित 3–आजीवन सदस्य।	कोई परिवर्तन नहीं।
06.	सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क :– 1. उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित शुल्क / चन्दा देय होगा :– 1. साधारण 1,000 / – वार्षिक। 2. सम्मानित सदस्य 1,000 / – वार्षिक। 3. आजीवन सदस्य 11,000 / –	सदस्यों द्वारा प्रदत शुल्क :– 1– उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्नलिखित शुल्क / चन्दा देय होगा :– 1. साधारण 10,000 / – वार्षिक। 2. सम्मानित सदस्य 1,00,000 / – वार्षिक। 3. आजीवन सदस्य 51,000 / –

अध्यक्ष
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Chairman
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Secretary
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Treasurer
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

	2 समिति के आजीवन सदस्यों (सांवलसिंह सांखला, अतुल सांखला, रेखा और जितेन्द्र परिहार) को छोड़कर प्रत्येक सदस्य को हर महीने 100/–रू चन्दा देना होगा अगर कोई सदस्य लगातार तीन महिने तक चन्दा नहीं देगा तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। 3 साधारण सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक का होगा। 4 सम्मानित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। वह समिति को अच्छे कार्यो के प्रति सहयोग दे सकता है।	2 समिति के आजीवन सदस्यों (सांवलसिंह सांखला, अतुल सांखला, रेखा और जितेन्द्र परिहार) को छोड़कर प्रत्येक सदस्य को हर महीने 100/–रू चन्दा देना होगा अगर कोई सदस्य लगातार तीन महिने तक चन्दा नहीं देगा तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। 3 साधारण सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष तक का होगा। 4 सम्मानित सदस्यों को मत देने का अधिकार नहीं होगा। वह समिति को अच्छे कार्यो के प्रति सहयोग दे सकता है।
07.	सदस्यता से निष्कासन :– संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:– 1. मृत्यु होने पर 2. त्याग पत्र देने पर 3. संस्था के उधेश्यों के विपरित कार्य करने पर 4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर। 5. तीन महिने तक सदस्यता शुल्क जमा नहीं कराने पर। 6. सम्मानित सदस्यों की सदस्यता अध्यक्ष/सचिव द्वारा समाप्त की जा सकेगी। उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु सही समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।	कोई परिवर्तन नहीं।
08.	साधारण सभा :– संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।	कोई परिवर्तन नहीं।
09	साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य :– साधारण सभा संस्था की सर्वोत्तम सभा होगी एवं संस्था के सम्पूर्ण अधिकारी इसमें नियुक्त होंगे। 1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना।	कोई परिवर्तन नहीं।

अध्यक्ष / Chairman
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव / Secretary
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष / Treasurer
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

	2. वार्षिक बजट पारित करना। 3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4. संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन , परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना। रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जासकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लागू होगा। 5. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना। 6. वार्षिक ऑडिटर की नियुक्ति करना। 7. संस्था की सम्पति आदि की सुरक्षा। 8. समय–समय पर कार्यकारिणी को आवश्यक दिशा निर्देश देना।	
10.	साधारण सभा की बैठक :– 1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिर्वाय होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 2/3 (दो तिहाई) होगा। 3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 1 दिन पूर्व दी जायेगी। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थें। 5. संस्था के 2/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हो, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर–अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा।	कोई परिवर्तन नहीं।
11.	**कार्यकारिणी का गठन :**	**कार्यकारिणी का गठन :**

अध्यक्ष
Chairman
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Secretary
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष
Treasurer
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

	संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिऐ एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे:— 1. अध्यक्ष (एक) 2. उपाध्यक्ष (एक) 3. मंत्री (एक) 4. कोषाध्यक्ष(एक) 5. सहसचिव (एक) 6. सदस्य (दो) इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 5 पदाधिकारी व 2 सदस्य कुल सदस्य 7 सदस्य होंगे।	संस्था के कार्य को सूचारू रूप से चलाने के लिऐ एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न होंगे:— 1. अध्यक्ष (एक) 2. उपाध्यक्ष (एक) 3. सचिव (एक) 4. कोषाध्यक्ष(एक) 5. सहसचिव (एक) 6. सदस्य (दस) **इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में 05 पदाधिकारी व 10 सदस्य कुल सदस्य 15 (पन्द्रह) सदस्य होंगे।**
12.	कार्यकारिणी के निवार्चन :— 1. संस्था के कार्यकारिणी का चुनाव **तीन वर्ष** की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा। 2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा की जावेगी। 3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।	कोई परिवर्तन नहीं।
13.	कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :— संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे:— 1. सदस्य बनाना/निष्कासित करना। 2. वार्षिक बजट तैयार करना। 3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना। 4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भतों का निर्धारण करना। 5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना। 6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना। 7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।	कोई परिवर्तन नहीं।

अध्यक्ष
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Chairman
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Secretary
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Treasurer
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

14.	कार्यकारिणी की बैठक : – 1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2. बैठक का कोरम कार्यकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा। 3. बैठक की सूचना प्राय सात दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय 24 घण्टे के अन्दर भी दी जा सकती है। 4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों की अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में करना आवश्यक होगा।	कोई परिवर्तन नहीं।
15.	कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :– संस्था के प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:– **01. अध्यक्ष :–** 1) बैठकों की अध्यक्षता करना। 2) मत बराबर आने पर निर्णायक मद देना। 3) बैठकें आहूत करना। 4) संस्था का प्रतिनिधित्व करना। 5) संविधन व अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।	कोई परिवर्तन नहीं।

अध्यक्ष / Chairman
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव / Secretary
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष / Treasurer
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

02. उपाध्यक्ष :– 1) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना। 2) प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदन अन्य अधिकारों का उपयोग करना। **03. मंत्री / व्यवस्थापक :–** 1) बैठकें अध्यक्ष की आज्ञा से आहूत करना। 2) कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना। 3) आय–व्यय का नियन्त्रण रखना। 4) वैतनिक कर्मचारियों का नियन्त्रण तथा उनके वेतन या यात्रा बिल आदि पास करना। 5) इस समिति की स्थापना समिति के संस्थापक श्री अतुल सांखला की प्रेरणा से हुई है इसलिए श्री अतुल सांखला इसके संस्थापक सचिव होने के नाते समिति के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहेंगे एवं समिति द्वारा संचालित किये जाने वाले समस्त संस्थानों के मुखिया होंगे एवं संस्थानों का संचालन उनकी अनुमति द्वारा ही किया जायेगा। 6) संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना। 7) पत्र व्यवहार करना। 8) संस्था की सम्पति की सुरक्षा हेतु अन्य कोई जो आवश्यक हों। **04. कोषाध्यक्ष :–** 1) वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।	

अध्यक्ष
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Chairman
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Secretary
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Treasurer
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

	2) दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना। 3) चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।	
16.	संस्था का कोष :— संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। 2) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में सें किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन संभव होगा।	संस्था का कोष :— संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगाः 1. चन्दा 2. शुल्क 3. अनुदान 4. सहायता 5. राजकीय अनुदान 1) उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत सरकारी बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी। 2) अध्यक्ष/मंत्री/कोषाध्यक्ष में सें किन्हीं दो पदाधिकारीयों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन संभव होगा। 3) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से Building, Machine, Land etc. लेने के लिए आवश्यकता पड़ने पर लोन लेना । 4) किसी भी संस्था जिसकी नियमावली हमारी संस्था के अनुरूप होगी उसे राशि की जरूरत पड़ने पर राशि का आदान–प्रदान संस्था द्वारा किया जा सकेगा ।
17.	कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :— संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकरी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगे। 1. अध्यक्ष : 10,000/— रू 2. मंत्री : 5,000/— रू 3. कोषाध्यक्ष : 2,000/— रू	कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :— संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकरी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेगे। 1. अध्यक्ष : 1,00,000/— रू 2. मंत्री : 50,000/— रू 3. कोषाध्यक्ष : 20,000/— रू
18.	संस्था का अंकेक्षण :—	कोई परिवर्तन नहीं।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
Chairman	Secretary	Treasurer
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान	मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान	मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan	Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan	Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur

मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान

मगरा पूंजला, जोधपुर (राज0)

Reg No. 41/JODHPUR/2002-03 Date 21-05-2002

	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षक कराया जावेगा व ऑडिटर की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जायेगी।	
19.	संस्था का विधान में परिवर्तन :— संस्था के विधान में आवश्कतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्वन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रार अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।	कोई परिवर्तन नहीं।
20.	संस्था का विधटन :— यदि संस्था क विधटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल अचल सम्पति समान उधेश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।	कोई परिवर्तन नहीं।
21.	संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :— रजिस्ट्रार संस्थाएं, जोधपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/जाचँ करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दियेगये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।	कोई परिवर्तन नहीं।
	प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास समिति संस्थान की सही व सच्ची प्रतिलिपि है।	कोई परिवर्तन नहीं।

अध्यक्ष
Chairman
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

सचिव
Secretary
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

कोषाध्यक्ष
Treasurer
मयुराक्षी शिक्षा एवं विकास संस्थान
Mayurakshi Shiksha Aur Vikas Sansthan

Signature valid

Digitally signed by Mohammad Haroon Belim
Designation : REGISTRAR
Date: 2025.10.01 13:56:10 IST
Reason: Approved
Location: Jodhpur